अनुबंध 2.13

ए:भाग I - सहकारी ऋण समितियाँ

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
1, 5, 9,10	राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/औद्योगिक सहकारी बैंक-शाखाओं की संख्या, सदस्यों की संख्या, देयताएँ, आस्तियाँ और परिचालन	कार्यालयों की संख्या, पूँजी, आरक्षित निधि, जमाराशियाँ, कार्यशील पूँजी, निवेश, दिये गये ऋण एवं अग्रिम, बकाया और अतिदेय, लाभ/हानि, प्रबंध लागत, आदि
2, 6, 11	राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/औद्योगिक सहकारी बैंक - दिये गये ऋण का प्रयोजनवार वर्गीकरण (कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सहित)	एससीबी द्वारा डीसीसीबी/समितियों को वस्तुतः ऋण का संवितरण उस सीमा को हिसाब में लेते हुए किया गया, जिस प्रयोजन से आहरण किया गया था
3, 7, 12	राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/औद्योगिक सहकारी बैंक - दिये गये ऋण का प्रयोजनवार वर्गीकरण (कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सहित)	बकाया ऋणों का प्रयोजनवार वर्गीकरण बैंक की बहियों के अनुसार दिया गया है
4, 8, 13	राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक/औद्योगिक सहकारी बैंक - अतिदेयों का वर्गीकरण -अवधि के अनुसार	अतिदेय ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण अवधि के अनुसार चूककर्ताओं की संख्या के साथ। आँकड़े में अनवीकृत कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये लेकिन अदत्त लौटाये गये बिल, जो 31 मार्च को लंबित थे, शामिल हैं। परिसमापनाधीन समितियों से प्राप्य राशि को अतिदेय नहीं माना गया है
14	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ-संख्या, सदस्य संख्या और व्याप्ति	समितियों की संख्या -सक्रिय, निष्क्रिय, आदि, गाँवों की संख्या, सदस्यों की संख्या के साथ स्वामित्व जोत के आकार के अनुसार सदस्यों का विश्लेषित विवरण
15	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ-देयताएँ, आस्तियाँ और परिचालन	वर्ष के अंत में समितियों के तुलनपत्र की मुख्य मदों के अतिरिक्त समितियों द्वारा किये गये परिचालन और अन्य कार्यकलाप, यथा, कृषि निविष्टियों, उपभोक्ता वस्तुओं, आदि का वितरण भी दिये गये
16	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण	दिये गये ऋणों के प्रयोजनवार ब्यौरे प्रत्येक प्रकार की समितियों के सामने अलग से दिये गये हैं, अर्थात् पीएसीएस (एफएसएस और लैंप्स से भिन्न), एफएसएस और एलएएमपीएस

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
17	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- ऋण एवं अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण	वर्ष के अंत में बकाया ऋणों का उनके प्रयोजन के अनुसार वर्गीकरण प्रत्येक प्रकार की समितियों के सामने दिये गये हैं
18	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- अतिदेयों का वर्गीकरण - अवधि के अनुसार	अतिदेय ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण चूककर्ताओं की संख्या के साथ चूक की अवधि के अनुसार। कुल अतिदेयों के आँकडों में (जिसमें समय विस्तार प्राप्त बकाये शामिल नहीं होंगे) अनवीकृत कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बकाये शामिल होंगे
19	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- एसएओ के लिए दिये गये एस.टी. अग्रिमों का फसलवार वर्गीकरण	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा खाद्य और खाद्येतर फसलों, यथा, गेहूँ, धान, ज्वार, दलहन और अन्य खाद्य के अंतर्गत और कपास, तिलहन, गन्ना, जूट, आदि खाद्येतर के अंतर्गत, के लिए दिये गये अल्पावधि ऋण
20	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- दिये गये, वसूले गये, बकाया, और अतिदेय ऋणों का वर्गीकरण -स्वामित्व जोत के आकार के अनुसार	भिन्न-भिन्न कोटि के सदस्यों यथा भूमि रखने वाले कृषकों, भूमिहीन कृषकों (रैयती कृषक और कृषि श्रमिक) और अन्य (कारीगर, फुटकर व्यापारी, आदि) को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये वित्त की सीमा
21	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- अ.जा./अ.ज.जा. सदस्यों को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण -प्रयोजन के अनुसार	पीएसीएस द्वारा अजा/अजजा सदस्यों को दिये गये अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण प्रयोजन के अनुसार
22	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित	आंकड़े उन सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से संबंधित हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंगीकृत किया गया है, भले ही वे (अर्थात् सत्तांतरित समितियाँ) वर्ष के दौरान वित्तपोषित की गयी थीं या नहीं
23	ग्रेन बैंक - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ, आस्तियाँ और परिचालन	'ग्रेन बैंक', जिन्हें कुछ राज्यों में 'ग्रेन गोला' कहा जाता है, जैसेकि उड़ीसा में, मुख्यतया प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ होती हैं, जो अनाज का लेनदेन करती हैं या अंशतः अनाज और अंशतः नकद लेनदेन करती हैं । सक्रिय और निष्क्रिय ग्रेन बैंकों के लिए आँकड़े अलग दिये गये हैं ।
24	प्राथमिक सहकारी बैंक - शाखाओं की संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ, आस्तियाँ और परिचालन	प्राथमिक सहकारी बैंक, यथा (क) शहरी बैंक, (ख) कर्मचारी ऋण समितियाँ और (ग) अन्य की प्रत्येक कोटि के संबंध में संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियों से संबंधित ब्यौरे

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
25	प्राथमिक सहकारी बैंक - दिये गये ऋण एवं अग्रिम का प्रयोजनवार वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का उनके प्रयोजन के अनुसार वर्गीकरण
26	प्राथमिक सहकारी बैंक - ऋण एवं अग्रिम का प्रयोजनवार वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	वर्ष के अंत में बकाया ऋणों का उनके प्रयोजन के अनुसार वर्गीकरण
27	प्राथमिक सहकारी बैंक - अतिदेयों का वर्गीकरण - अवधि के अनुसार	अतिदेय ऋण एवं अग्रिमों का चूककर्ताओं की संख्या के साथ चूक की अवधि के अनुसार वर्गीकरण
28	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	प्रत्येक प्रकार की कोटि की कृषीतर ऋण समितियाँ (बी.आर.ऐक्ट के क्षेत्र में नहीं आने वाली), यथा, (क) शहरी बैंक, (ख) कर्मचारी ऋण समितियाँ और (ग) अन्य, के संबंध में उनकी संख्या, सदस्य संख्या, देयताओं और आस्तियों से संबंधित ब्यौरे
29	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियाँ - परिचालन	दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के ब्यौरे। वितरण, कार्यकलाप, यथा, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, प्रबंध लागत, लाभ/हानि, आदि
30	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियाँ - दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियों द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों का उनके प्रयोजन के अनुसार वर्गीकरण प्रत्येक प्रकार की समितियों के लिए अलग से, अर्थात् पीएसीएस (एफएसएस और लैंप्स से भिन्न), एफएसएस और एलएएमपीएस
31	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियाँ - बकाया ऋण एवं अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	प्रत्येक प्रकार की समिति के लिए वर्ष के अंत में बकाया ऋणों का वर्गीकरण उनके प्रयोजन के अनुसार
32	प्राथमिक कृषीतर ऋण समितियां - अतिदेयों का वर्गीकरण - अवधि के अनुसार	अतिदेय ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण चूककर्ताओं की संख्या के साथ चूक की अवधि के अनुसार
33	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	बैंकों की संख्या, शाखाएँ,सदस्य संख्या, पूँजी, आरक्षित निधि, उधार, कार्यशील पूँजी, निवेश, दिये गये ऋण एवं अग्रिम, बकाया और अतिदेय, आदि

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
34	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - परिचालन	ऋण दिये गये, वसूले गये, बकाया, अतिदेय, डिबेंचर जारी किये गये, पुनः शोधित किये गये, मांग, वसूली, प्रबंध लागत, लाभ/हानि, प्रबंध लागत, लाभांश घोषित, आदि
35	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	एससीएआरडीबी द्वारा प्राथमिक समितियों को ऋणों के वस्तुतः वितरण के ब्यौरे प्रयोजनवार वित्तपोषित इकाइयों की संख्या को ध्यान में रख कर दिये गये हैं । जहाँ कहीं ऋण व्यक्तियों को सीधे दिये गये, वहाँ व्यक्तियों के पास बकाया ऋणों के प्रयोजनवार ब्यौरे दिये गये हैं । जहाँ कहीं संघीय संरचना में पीसीएआरडीबी समितियों और एससीएआरडीबी के पास बकाया ऋणों की राशि समान नहीं है और प्राथमिक स्तर पर बकाया ऋणों के प्रयोजनवार एससीएआरडीबी स्तर पर बकाया ऋणों से मेल नहीं खाते, वहाँ एससीएआरडीबी और इसकी शाखाओं की बहियों में उपलब्ध बकाया ऋणों के ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हैं।
36	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - बकाया ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण - प्रयोजन के अनुसार	
37 और 41	एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी - दिये गये, वसूले गये, बकाया और अतिदेय ऋणों का वर्गीकरण -स्वामित्व जोत के आकार के अनुसार	अलग-अलग सदस्यों को स्वामित्व जोत के आकार के अनुसार (परिचालनीय जोत) दिये गये ऋणों के वर्गीकरण के आँकड़े एससीएआरडीबी और/या पीसीएआरडीबी की शाखाओं के संबंध में दिये गये हैं । इस वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए संबंधित कृषक की कुल जोत को, न कि आंशिक जोत को, जो वस्तुतः प्राथमिक/राज्य भूमि विकास बैंक के पास बंधक या प्रभारित है, को हिसाब में लिया गया है। पुनः, यदि कोई ऋण अंशतः वितरित किया गया है, तो वस्तुतः वितरित राशि को इस सारणी के प्रयोजन के लिए गिना गया है ।
38	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी) - सदस्यों की संख्या और अजा एवं अजजा सदस्यों को दिये गये ऋणों के ब्यौरे	समाज के कमजोर वर्गों को अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ऋणों और दिये गये ऋणों के प्रयोजनवार ब्यौरे भी प्रस्तुत किये जाते हैं
39	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी) - सदस्यों की संख्या और अजा एवं अजजा सदस्यों को दिये	

अनुबंध 2.13 *(समाप्त)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
40	गये ऋणों के ब्यौरे - प्रयोजन के अनुसार प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ, आस्तियाँ और परिचालन	बैंकों की संख्या, शाखाएँ, सदस्य संख्या, पूँजी, आरक्षित निधि, जमाराशियाँ, उधार, कार्यशील पूँजी, दिये गये, बकाया और अतिदेय ऋण और अग्रिम, आदि । दिये गये, वसूले गये, बकाया, अतिदेय ऋण, मांग, वसूली, शेष, प्रबंध लागत, लाभ/हानि, प्रबंध लागत, आदि।
42 और 43	सहकारी ऋण समितियों में रोजगार - राज्यवार और प्रकारवार	इन सारणियों के आँकड़ों में ऋण समितियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या शामिल है । विविध कोटि के स्टाफ के संबंध में समितियों के प्रकार के अनुसार आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं ।
44	वर्ष के लिए समितियों की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा वर्गीकरण	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गयी मध्यवर्ती और प्राथमिक समितियों के ब्यौरे, भले ही लेखापरीक्षा में शामिल अवधि कोई भी हो, रिपोर्ट की गयी संख्या समितियों से संबंधित है, न कि उन वर्षों से, जिनके संबंध में वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा पूरी की गयी ।

बी. भाग II - सहकारी ऋणेतर समितियाँ

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
	विपणन समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, व्याप्ति, देयताएँ, और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, व्याप्ति,सदस्य संख्या, चुकता पूँजी, आरक्षित निधि,उधार, कार्यशील पूँजी, आस्तियाँ, समिति के स्वामित्व में गोदाम, क्षमता, भंडारण, विपणन समितियों द्वारा संस्थापित कोल्ड स्टोरेज, कारोबारी कार्यकलाप, खरीदारी का मूल्य, स्वामियों के रूप में किये गये विक्रय का मूल्य, वितरण संबंधी कार्यकलाप, प्रसंस्करण कार्यकलाप, विनिर्माण तथा उत्पादन संबंधी कार्यकलाप यथा उर्वरक मिश्रण, कीटनाशक, कृषि औजार, बीज, विपणन समितियों द्वारा दिये गये ऋण, ऋण समितियों के ऋण, जो विपणन समितियों द्वारा वसूले गये, प्रबंध लागत, लाभ/हानि, प्राप्त सरकारी सहायता
1	राष्ट्रीय और राज्य	
2	केंद्रीय	
3	प्राथमिक - कुल	
4	सामान्य प्रयोजन विपणन समितियाँ	
5	फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ	
6	सुपारी विपणन समितियाँ	
7	नारियल विपणन समितियाँ	
8	गन्ना विपणन समितियाँ	
9	तंबाकू विपणन समितियाँ	
10	कपास विपणन समितियाँ	

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
11	अन्य विशेषीकृत वस्तु विपणन समितियाँ सभी प्रसंस्करण समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	इकाइयों की संख्या, कार्यशील पूँजी, चुकता पूँजी, आरक्षित निधि, जमाराशियाँ, उधार, अंतिम स्टॉक, दिये गये अग्रिम, प्रसंस्करण कार्यकलाप, यथा, संस्थापित क्षमता, प्रसंस्कृत परिमाण, क्षमता उपयोग, आदि, कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, ऋण समितियों के वसूले गये ऋण, लाभ और हानि, प्रबंध की लागत, प्राप्त सरकारी सहायता, गोदामों का स्वामित्व, क्षमता, आदि
12	राष्ट्रीय और राज्य	
13	केंद्रीय	
14	प्राथमिक	
15	प्रसंस्करण समितियाँ - चीनी कारखाने	
16	प्रसंस्करण समितियाँ - कपास ओटाई एवं संपीडन	
17	प्रसंस्करण समितियाँ - तेल पेराई	
18	प्रसंस्करण समितियाँ - धान प्रसंस्करण	
19	प्रसंस्करण समितियाँ - चावल मिल	
20	प्रसंस्करण समितियाँ - फल एवं सब्जियाँ	
21	प्रसंस्करण समितियाँ - अन्य वस्तुएँ	
22	सभी दुग्ध आपूर्ति/अन्य पशुधन/पशुधन उत्पाद संघ/समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, सदस्यों की संख्या, कार्यशील पूँजी, चुकता पूँजी, आरक्षित निधि, उधार, अचल आस्तियाँ, दिये गये ऋण, बकाया और अतिदेय, खरीदगी, बिक्री, संचित लाभ/हानि, सरकार से आर्थिक सहायता,आदि के ब्यौरे। (अन्य पशुधन समितियों मे शामिल हैं, सुअरपालन समितियाँ, कुत्ताघर, मटन फार्म, आदि । भेंड़ प्रजनन समितियाँ, जो भेंड़ों का पालन ऊन प्राप्त करने और इसी क्रम में उनका मांस प्राप्त करने के लिए करती हैं, को भी शामिल किया जाता है । पशुधन समितियाँ, जो पशुओं - दुधारू और भारवाही - दोनों का पालन उनके प्रजनन में सुधार के लिए और भारवाही पशुओं का पालन कृषि कार्य में उपयोग करने, यथा, हल चलाने, अंतर-कृषि और परिवहन में उपयोग करने अथवा मांस या गोमांस के प्रयोजन से उपयोग करने के लिए करते हैं, की रिपोर्ट अन्य पशुधन के अंतर्गत की जाती है)
23	दुग्ध आपूर्ति संघ और समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
24	घी संघ और समितियाँ -संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
25	अन्य पशुधन उत्पाद संघ और समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
26 और 27	मुर्गीपालन संघ और समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
28 और 29	कृषि (फार्मिंग) समितियाँ - संयुक्त खेती और सामूहिक खेती - अन्य - संख्या, सदस्य संख्या, व्याप्ति, देयताएँ और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, व्याप्ति हेक्टेयर में, अर्थात् समिति द्वारा अपने सदस्यों से लिया गया या अर्जित क्षेत्र, जिसमें पट्टे वाली भूमि शामिल है, यदि हो, वित्तीय ब्यौरे और अचल आस्तियाँ (जिसमें भूमि पर किये गये सभी निर्माण का, यथा, भवन, गोदाम, पंपघर, कैटल शेड, मशीन शेड, आदि का मूल्य शामिल है । खेती के प्रयोजन से भूमि के उद्धार पर किये गये खर्च और भूमि के विकास पर खर्च, मशीनों, यथा, ट्रैक्टर, बुलडोजर, पंपसेट और अन्य कृषि औजारों तथा समिति के स्वामित्व वाले वाहनों का मूल्य भी बताया जाता है) । ऋण एवं अग्रिम, अतिदेय, अनुमानित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण एवं आस्तियाँ, उत्पादित वस्तु का बिक्री मूल्य और प्राप्तियाँ, यदि हो, प्रबंध की लागत, लाभ और हानि
30	मत्स्यपालन समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, व्याप्ति, देयताएँ और आस्तियाँ	मशीनों (अर्थात् यांत्रिक नावों और अन्य मशीनों का बही मूल्य, जिसमें कोल्ड स्टोरेज प्लांट, मछली पकड़ने की यांत्रिक नावें, मशीन के अतिरिक्त पुर्जे, और परिवहन के वाहन, जो समिति के स्वामित्व में हों, शामिल हैं) । स्टॉक, मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतान,
	बुनकर समितियाँ -संख्या, सदस्य संख्या, व्याप्ति, देयताएँ और आस्तिया	
31	राष्ट्रीय और राज्य	बुनकर समितियों को तीन समूहों में उपविभाजित किया जाता है, यथा हथकरघा, पावरलूम और खादी समितियाँ, उन समितियों के बारे में अलग आँकड़े दिये जाते हैं, जो सूती, ऊनी, रेशमी वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती हैं । कुछ समितियाँ मिश्रित प्रकार की होती हैं, उदाहरणार्थ, हथकरघा और खादी, हथकरघा और पावरलूम, आदि । ऐसे मामलों में समिति का वर्गीकरण उत्पादन की मुख्य मद के मूल्य के अनुसार किया जाता है । उदाहरण के लिए, यदि किसी समिति के उत्पादन के बड़े हिस्से (51 प्रतिशत या अधिक) का मूल्य पावरलूम से प्राप्त हो, तो इसका वर्गीकरण 'पावरलूम' के अंतर्गत किया जायेगा, यद्यपि यह हथकरघा से भी कपड़ों का उत्पादन कर सकती है ।
32	केंद्रीय	
33	प्राथमिक	
34	प्राथमिक - हथकरघा	
35	प्राथमिक - खादी	
36	प्राथमिक - पावरलूम	
	अन्य औद्योगिक इकाइयाँ -संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
37	राष्ट्रीय और राज्य	'अन्य औद्योगिक समितियाँ' का वर्गीकरण सांख्यिकीय आँकड़ों के प्रयोजनार्थ 16 व्यापक समूहों में किया गया है और विभिन्न स्तरों पर विविध प्रकार की समितियों के संबंध में आँकड़े अलग से दिये जाते हैं । समितियों की संख्या, स्टॉक, अचल आस्तियाँ, ऋण, आदि, उत्पादन और बिक्री करने वाली समितियाँ, आपूर्ति, बिक्री और अन्य संवाएँ देने वाली समितियाँ, ऐसी समितियाँ, जो उत्पादन और बिक्री, दोनों करती हैं, और आपूर्ति, बिक्री तथा और अन्य सेवाएँ देती हैं, कार्यशील पूँजी, आरक्षित निधि, अन्य निधियाँ और जमाराशियाँ,संचित हानि/लाभ, सरकारी सहायता, प्रबंध की लागत, लाभ और हानि के संबंध में ब्यौरे दिये जाते हैं।
38	केंदीय	
39	प्राथमिक	
40	कताई मिल - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	अधिकांश कताई मिलें मिश्रित प्रकार की होती हैं, अर्थात् वे कपास उगाने वालों और धागों के उपभोक्ता, दोनों को अपना सदस्य बनाती हैं। तीन प्रकार की समितियों के लिए अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, यथा, (क) कपास उगाने वचाले (ख) धागों का उपभोग करने वाले, और (ग) मिश्रित प्रकार मिलों की संख्या, स्पिंडलों की संख्या (लाइसेंस प्राप्त और चालू) उत्पादित सामान का मूल्य, तैयार सामान की बिक्री का मूल्य, भुगतान की गयी मजदूरी, और अन्य विनिर्माण खर्च, प्रबंध की लागत, लाभ और हानि, आदि के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।
	उपभोक्ता सहकारी भंडार- संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
41	राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फेडरेशन	उपभोक्त समितियों की संख्या (जिनमें उन उपभोक्ता भंडार और डिपार्टमेंटल स्टोर की संख्या शामिल है, जिन्हें स्वतंत्र समिति के रूप में चलाया जाता है) । शाखाओं की संख्या, अंतिम स्टॉक, उधार बिक्री के अंतर्गत बकाया, खरीद, बिक्री, सदस्य संख्या, चुकता पूँजी, उधार, अन्य आस्तियाँ, अचल आस्तियाँ, और संचित हानि एवं लाभ, प्रबंध की लागत, लाभ और हानि, गोदामों की संख्या ।
42	थोक /केंद्रीय भंडार	
43	प्राथमिक भंडार	
44	नितांत प्राथमिक भंडार सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में	

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
	उपभोक्ता सामानों का वितरण	
45	कुल	
46	पीएसीएस, एलएएमपीएस, एफएसएस द्वारा	उपभोक्ता सामान का वितरण करने वाली समितियों की संख्या, खुदरा बिक्री शाखाओं/दुकानों की संख्या, आदि प्रस्तुत किये जाते हैं।
47	विपणन समितियों द्वारा	
48	प्रसंस्करण समितियों द्वारा	
49	उपभोक्ता समितियों द्वारा	
50	अन्य समितियों द्वारा	
51	गृह-निर्माण समितियाँ - (राज्य) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, सदस्य संख्या, चुकता पूँजी, उधार, अचल आस्तियाँ, ऋण, कार्यशील पूँजी, आरक्षित निधि, संचित हानि-लाभ, स्वतंत्र मकान, चाल की कोठरी, जो वर्ष के दौरान निर्माण किये गये (केवल उन मकानों और कोठरियों के संबंध में जहाँ निर्माण का कार्य पूरा हो गया है), लाभ और हानि, आदि ब्योरे दिये जाते हैं
52	गृह-निर्माण समितियाँ (प्राथमिक) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
	सहकारी औद्योगिक संपदा - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
53	कुल	औद्योगिक संपदा की संख्या, सदस्य संख्या, कार्यशील पूँजी, जमाराशियाँ, उधार, निवेश, अचल आस्तियाँ, दिये गये ऋण, पूरा हो गये, कब्जा में लिये गये वर्क शेड, अर्जित आय, प्राप्त सरकारी सहायता, प्रबंध की लागत, निर्माण की लागत, लाभ और हानि, आदि।
54	राष्ट्रीय और राज्य	
55	केंद्रीय	
56	प्राथमिक	
57	श्रमिक संविदा और निर्माण समितियाँ - राज्य एवं जिला (संघ) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन करने वाली समितियाँ, सदस्य संख्या, चुकता पूँजी, आरक्षित निधि, उधार, ऋण, आस्तियाँ, संचित लाभ/हानि, निष्पादित कार्य (अर्थात् वर्ष के दौरान वस्तुतः निष्पादित संविदाओं का मूल्य), अर्जित आय, प्रबंध की लागत, लाभ और हानि, वितरण किये गये उपभोक्ता सामान का मूल्य, प्राप्त सरकारी सहायता, आदि ।
58	श्रमिक संविदा और निर्माण समितियाँ - (प्राथमिक) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
59	वन श्रमिकों की समितियाँ -(राज्य) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	समितियों की संख्या, सक्रिय समितियों का परिचालन क्षेत्र, सदस्य संख्या, कार्यशील पूँजी, चुकता पूँजी, जमाराशियाँ, उधार, ऋण, वर्ष के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों, यथा, सरकारी, स्थानीय निकायों, और अन्य द्वारा समितियों को आबंटित किये गये जंगलों के ठेके, संग्रहीत जंगल की उपज का मूल्य, बिक्री का मूल्य, भुगतान की गयी मजदूरी, प्रबंध की लागत, सरकारी सहायता, लाभ/हानि, वितरित उपभोक्ता सामान का मूल्य।
60	वन श्रमिकों की समितियाँ -(प्राथमिक) - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
61	ऋणेतर समितियाँ - अन्य- कृषि और कृषीतर - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	ये सारणियाँ सभी प्रकार की ऋणेतर समितियों से संबंध रखती हैं - कृषि और कृषीतर - इनमें वे कार्यकलाप शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट पहले की सारणियों में नहीं की गयी है।'अन्य समितियों' में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होते हैं : 1. कृषि समितियाँ क) रैयती खेती ख) बेहतर खेती ग) फसल रक्षा घ) भू-राजस्व शोधन ङ) ग्रामीण पुनर्निर्माण च) पशु चिकित्सा और प्राथमिक उपचार, आदि छ) सिंचाई समितियाँ ज) सहकारी कोल्ड स्टोरेज समितियाँ 2. कृषीतर समितियाँ क) सिनेमा ख) व्यापारी ग) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य घ) शिक्षा ङ) समाज सेवा, आदि च) परिवहन समितियाँ समितियों की संख्या, सदस्य संख्या, कार्यशील पूँजी,चुकता पूँजी, जमाराशियाँ, उधार, ऋण, कारोबारी कार्यकलाप, प्रबंध की लागत, सरकार से आर्थिक सहायता, लाभ/हानि, और राज्य स्तरीय ऋणेतर समितियों के संबंध में वित्तीय ब्यौरे, यदि हों, जिन्हें अन्य सारणियों में से किसी में नहीं शामिल किया गया, की रिपोर्ट अलग से इस सारणी में की जाती है।
62	ऋणेतर समितियाँ - अन्य- कृषि - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
63	ऋणेतर समितियाँ - अन्य- कृषीतर - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	
64	मल्टी युनिट सहकारी समितियाँ - संख्या, सदस्य संख्या, देयताएँ और आस्तियाँ	जिन सहकारी समितियों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होते और जिन पर मल्टी युनिट सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1942 के प्रावधान लागू होते हैं, उनकी रिपोर्ट इस सारणी में की जाती है । समितियों की संख्या, सदस्य संख्या, कार्यशील पूँजी, चुकता पूँजी, जमाराशियाँ, उधार, ऋण, किये गये प्रधान कारोबार के ब्यौरे, उपभोक्ता सामान का वितरण, प्रबंध लागत, सरकार से आर्थिक सहायता, लाभ/हानि, आदि बताये जाते हैं।

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
65	सहकारी कृषि सेवा केंद्र - स्थिति	केंद्रों की संख्या, स्वामित्व वाले ट्रैक्टरों की संख्या, लाभान्वित हुए किसानों की संख्या, किराये पर देने, सर्विसिंग करने, कृषि निविष्टियों का वितरण करने, कृषि मशीनों की आपूर्ति करने से आमदनी, लाभ/हानि के ब्यौरे दिये गये हैं।
66	कृषीतर सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा वर्गीकरण	यह सारणी उन केंद्रीय और प्राथमिक समितियों से संबंधित है, जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान की गयी, भले ही लेखापरीक्षा में शामिल अवधि कोई भी हो, उन समितियों की संख्या, जिनकी लेखापरीक्षा होनी है और लेखापरीक्षा की गयी समितियों की संख्या, लेखापरीक्षा का वर्गीकरण, आदि बताये जाते हैं ।
67	परिसमापन के अधीन समितियाँ	यह सारणी पिछले वर्ष/वर्षों से परिसमापन के अधीन समितियों से और रिपोर्ट किये जाने वाले वर्ष के दौरान अभी-अभी परिसमापन के अंतर्गत लायी गयी समितियों से संबंधित है । परिसमापनाधीन समितियों की संख्या, समापन की गयी समितियाँ, परिसमापनाधीन समितियों की कुल आस्तियाँ और देयताएँ, आदि की रिपोर्ट की जाती है ।
68	सहकारी यूनियन और पर्यवेक्षकीय संस्थाएँ	यूनियनों/संस्थाओं के संबंध में आँकड़े, सदस्य संख्या, शिक्षण कार्यकलापों में लगाये गये स्टाफ की संख्या, संचालित कार्यकलाप, कार्यक्रम, लाभार्थियों की संख्या,अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आय-व्यय, आदि प्रस्तुत किये जाते हैं ।
69	प्रशासनिक स्टाफ - सहकारिता विभाग	यह सारणी विभागीय स्टाफ, मुख्यालय और क्षेत्र, दोनों के संबंध में ब्यौरे देती है । चूँकि भिन्न-भिन्न राज्यों में मुख्यालय और क्षेत्र स्टाफ की भिन्न-भिन्न कोटियाँ होती हैं, इसलिए कुछ व्यापक कोटियों के बारे में जानकारी दी गयी है । मुख्यालय स्टाफ के मामले में , वे हैं (i) राजपत्रित अधिकारी, (ii) अन्य पर्यवेक्षकीय स्टाफ, जिनमें अराजपत्रित अधिकारी शामिल हैं, (iii) अनुसचिवीय कर्मचारी, उदाहरणार्थ, लिपिक, टंकक, आदि और (iv) अन्य, यथा, चपरासी, परिचर, आदि । क्षेत्र स्टाफ के संबंध में जो कॉलम दिये गये हैं, वे वरिष्ठ निरीक्षकों, कनिष्ठ निरीक्षकों, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, कनिष्ठ लेखापरीक्षक और अन्य से संबंधित हैं ।
70	ऋणेतर सहकारी समितियों में रोजगार - कुल	इस सारणी के आँकड़ों में ऋण और ऋणेतर, दोनों प्रकार की समितियों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या शामिल है । विविध कोटि के स्टाफ के संबंध में, यथा, प्रबंधकीय स्टाफ, अन्य प्रशासनिक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और निचली श्रेणी के स्टाफ के संबंध में समितियों के प्रकार के अनुसार आँकड़े दिये जाते हैं।
71	ऋणेतर सहकारी समितियों में रोजगार	
72	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली के लिए विवाचन और निष्पादन मामले	लंबित विवाचन मामलों के बारे में जानकारी, जो वर्ष के दौरान फाइल किये गये, निपटाये गये, आदि, विवाचन मामलों और निष्पादन मामलों, दोनों के संबंध में अलग-अलग प्रस्तुत की जाती है।

अनुबंध 2.13 *(जारी)*

सारणी सं.	सारणी नाम	विषय-वस्तु
73	गबन के मामले	गबन के मामलों की संख्या और राशि के एजेंसीवार ब्यौरे दिये जाते हैं ।
74	प्रबंधन समितियों का निलंबन	प्रबंधन समितियों की सभी स्तर पर उन कमिटियों की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान निलंबित और पुनः बहाल किया गया ।
75	प्रबंधन समितियों की कमिटियों का अधिक्रमण - संख्या	प्रबंधन समितियों की सभी स्तर पर उन कमिटियों की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान निलंबित और पुनः बहाल किया गया ।
76	ऋणेतर सहकारी समितियों की आय और व्यय से संबंधित आँकड़े - आय	समितियों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित आय, यथा, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज, निवेश, कमीशन और दलाली, आर्थिक सहायता और दान, आदि, और किये गये खर्च, यथा, जमाराशियों पर ब्याज, वेतन, किराया, कर, बीमा, विधि प्रभार, प्रशासनिक खर्च, प्रावधान, आदि के ब्यौरे यहाँ दिये जाते हैं।
77	ऋणेतर सहकारी समितियों की आय और व्यय से संबंधित आँकड़े -व्यय	